न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 53/2024

श्री अहमद अली अंसारी पुत्र मेहमूद खां वार्ड नं. 17 इमाम चौक नागरों की गली टोडारायसिंह जिला केकडी

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, भू—अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट, टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 26.11.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 24.07.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 420 दिनाक 30.07.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, भू—अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट, टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—
पटवार हल्का भांसू तहसील टोडारायसिंह

1 नां0सं0 1518/20.9.2007 खसरा नं0 1140 से संबधिंत रामनिवास पुत्र रामकरण कुम्हार भांसू

2 नां0सं0 1725/5.5.2009 रमेश चन्द पुत्र जंशी लाल छीपा भासू

3 नां0सं0 1726/5.5.2009 कैसर लाल पुत्र देवी लाल छीपा भासू

4 नां0सं0 1841/20.10.10 औम प्रकाश पुत्र रामकरण कुम्हार भांसू

5 नां0सं0 1578/19.09.2008 रामनिवास पुत्र रामकरण कुम्हार भासू (डिकी)

6 नां0सं0 1829/5.8.2010 आबादि भूमि कन्वर्ट स्वीकृति

7 नक्शा ट्रेस खसरा नं0 1140 प.हल्का भासू

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, भू—अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट, टोंक को पत्र कमांक 1391 दिनांक 23.09.2024, व 1501 दिनांक 10.10.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, भू—अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट, टोंक ने पत्र कमांक 4492 दिनांक 09.10.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 3733 दिनांक 30.08.2024 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट, टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक